Popular Front of India

G-78, 2nd Floor, Shaheen Bagh, Kalindi Kunj, Noida Road, New Delhi- 110025
PopularFrontofIndiaOfficial/ www.popularfrontindia.org
popularfrontmail@gmail.com 011- 29949902

प्रेस रिलीज़

23 दिसम्बर 2018
नई दिल्ली

कंप्यूटर की निगरानी का फैसला निजता के अधिकार का उल्लंघनः पॉपुलर फ्रंट

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चेयरमैन ई. अबूबकर ने मीडिया को जारी अपने बयान में गृह मंत्रालय के हालिया फैसले को जिसके तहत सुरक्षा व खुफिया एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर की निगरानी करने, उसमें झांकने तथा डेटा जमा करने का अधिकार दिया गया है, एक नागरिक के निजता के अधिकार का खुला उल्लंघन करार दिया है।

इस अधिसूचना ने जनता की प्राइवेसी को देश की 10 सुरक्षा व खुफिया एजेंसियों के रहमो करम पर डाल दिया है। यह पूरे तौर से सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के ख़िलाफ है जिसमें प्राइवेसी के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया गया है। खुफिया एजेंसियों द्वारा सत्तारूढ़ पार्टियों के फायदे के लिए निर्दोष लोगों के खिलाफ सबूतों से छेड़छाड़ और फर्जी सबूत गढ़ने का एक लंबा इतिहास हम देखते चले आए हैं। इस तरह से कई एजेंसियों को कंप्यूटर पर नज़र रखने का पूर्ण अधिकार दे देना सरकार के हाथ में जनता के खिलाफ एक खतरनाक हथियार साबित हो सकता है और सरकार इसका हर तरह से दुरुपयोग कर सकती है। याद रहे कि यह वही सरकार है जिसने सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा उठाया था कि प्राइवेसी कोई मौलिक अधिकार नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका इस्तेमाल सभी राजनीतिक व अन्य विरोधियों पर नज़र रखने और उन्हें ख़त्म करने के लिए किया जाएगा।

बेहरहाल, यह अच्छा पहलू है कि कांग्रेसी नेताओं ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। लेकिन सत्ता में रहते हुए उन्होंने भी कुछ अलग काम नहीं किया था। हालिया अधिसूचना इससे पहले के आई.टी. एक्ट 2000 का इस्तेमाल करते हुए ही जारी की गई है, जिसे यू.पी.ए. सरकार ने पास किया था। इसलिए हम सभी लोकतांत्रिक ताक़तों से अपील करते हैं कि वे जनता की आज़ादी को छीनने वाले इस फैसले के ख़िलाफ आगे आएं और इसे पराजित करें।

डॉक्टर मोहम्मद शमून
डायरेक्टर, जनसंपर्क
मुख्यालय, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया
नई दिल्ली